


11

आज मंच पर पेश की जावनीय प्रमाण प्रतील अधिकारी, हनुमानगढ़
के न्यायालय में निर्णय दिनांक 11/12/11 के तहत पुराने सन 11
पैसे दे ली गई। जावनीय न्यायालय अंतर्गत न्यायालय
के निर्णय के अभाव में निर्णय पंजीय विना ही न्याय
तक एक पत्रावली में किसी आधारित की शालक्षकता नहीं है
प्रकार की प्रत्येक के निर्णय की कार्य

17-1-20 मा. राजकर मण्डल अजमेर का
पत्रांक 12400 दिनांक 5-12-19 के
संलग्न निगरानी संख्या 280 दिनांक
में परिचित निर्णय दिनांक 23-11-19 की
उक्त सहीत इस न्यायालय का मूल
अभिलेख प्राप्त हुआ है निर्णय का
अवलोकन किया जाय अवलोकन
पाया कि इस न्यायालय के निर्णय
दिनांक 8-6-11 के यथावत रखते हुए
मूल वाद को जज. माट में निस्तारण
करने हेतु निर्णय किया है प्रकरण
का अवलोकन पाया कि मूल वाद में
दिनांक 11-4-2018 के निर्णय परिचित
है युक्त है अतः पत्रावली में कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं है न से वाद
तकमिल शरिफ दफतर है।


(कापिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

